न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :– 06.01.2021

मिशल संख्या 356 / 2019

उनवानी प्रार्थना पत्र :

मिथलेश पुत्री श्री पांचुलाल जाति मीणा उम्र 26 वर्ष निवासी लक्ष्मीपुरा (टोडा का गोठडा) तहसील देवली जिला टोंक (राज0)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. दुर्गेश पुत्री श्री पांचुलाल जाति मीणा उम्र 23 वर्ष निवासी लक्ष्मीपुरा (टोडा का गोठडा) तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
2. कैलशी पत्नि श्री पांचुलाल जाति मीणा उम्र 60 वर्ष निवासी लक्ष्मीपुरा (टोडा का गोठडा) तहसील देवली जिला टोंक (राज0)
3. तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक राज0

– अप्रार्थी–

पेरोकार सरकार

उपस्थिति :–
श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, एल.आर. एक्ट 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण नं0 1 ता 2 की संयुक्त पैतृक, खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 88 खसरा नं0 604 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 632 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 650 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 651 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 669 रकबा 0.55 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 1.50 है0 व खाता संख्या 89 खसरा नं0 664 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 670 रकबा 0.04 है0 गै0 मु0 चाह कुल किता 02 कुल रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का टोडा का गोठडा तहसील देवली जिला टोंक मे स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थीया व अप्रार्थीयागण नं0 1 ता 2 की पैतृक भूमि है और उक्त आराजीयात में प्रार्थीया का नाम सहवन से मुकलेश अंकित कर दिया गया है जो गलत है प्रार्थीया का अन्य भूमि/खाते में राजस्व रिकार्ड में नाम मिथलेश मीणा है एवं अन्य सभी दस्तावेज में मिथलेश मीणा पुत्र पांचूलाल मीणा दर्ज है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से उक्त आराजीयात में मिथलेश की बजाय मुकलेश दर्ज कर दिया जो गलत है। प्रार्थीया के आलावा मिथलेश नाम का अन्य कोई महिला नही है एवं प्रार्थीया के हिस्से की उक्त

का संयुक्त खातेदारी की भूमि से अन्य कोई महिला का सरोकार नही है उक्त आराजीयात में प्रार्थीया का हिस्सेनुसार ही संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। प्रार्थीया का नाम मुकलेश की बजाय मिथलेश मीणा पुत्री पांचूलाल दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि प्रार्थीया के नाम अन्य भूमि एवं सभी दस्तावेजात में समान नाम हो एवं प्रार्थीया को उक्त आराजीयात में राजस्व रिकॉर्ड में मुकलेश होने के कारण परेशानी का सामना नही करना पड़े। इस कारण प्रार्थीया का नाम मुकलेश के बजाय मिथलेश मीणा पुत्री पांचूलाल मीणा निवासी लक्ष्मीपुरा किया जाना आवश्यक है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थीगण न0 2 ने इकबालिया जवाब पेश किया जो इस प्रकार है :–प्रार्थना पत्र का चरण नं0 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 4 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 5 स्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी न0 1 व अप्रार्थीया न0 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या 88, 89 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का टोडा का गोठडा में प्रार्थीया का नाम मुकलेश के बजाय मिथलेश मीणा पुत्री पांचूलाल मीणा दर्ज कर दिया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या 3 तहसीलदार देवली की ओर से परोकार सरकार द्वारा बिन्दुवार जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:–बिन्दु नं. 1 :– वादिया व प्रतिवादिया की आराजीयात ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का टोडा का गोठडा मे किता 5 रकबा 1.50 है0 व किता 2 रकबा 0.10 है0 मे संयुक्त खातेदारी मुकलेश के नाम से दर्ज रिकार्ड है। मिथलेश के नाम से खातेदारी दर्ज नही है। बिन्दु नं. 1 स्वीकार नही है। बिन्दु नं. 2 :– वादिया का संयुक्त खातेदारी मे नाम जरिये नामा0 से दर्ज हुआ है व ग्राम पंचायत ने भी वादिया को दोनो नाम से जाना जाता है। वादिया मुकलेश के स्थान पर मिथलेश का रिकार्ड व सबूत स्वंय सिद्ध करें। बिन्दु नं0 2 स्वीकार नही है। बिन्दु नं. 3 :– वादिया संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त के सबूत स्वंय सिद्ध करें। बिन्दु नं0 3 स्वीकार नही है। बिन्दु नं. 4 :– न्यायालय से संबंधित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व कर्मचारियों से खाता संख्या 88 व 89 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का टोडा का गोठड़ा की जमाबन्दीयों में प्रार्थीया का नाम मिथलेश के

स्थान पर मुकलेश कर दिया। इसका कारण यह रहा है कि दोनो नामो में समानता होने के कारण प्रार्थीया को गांव में दोनो ही नाम से पुकारते थे। इसी कारण से उक्त राजस्व रिकॉर्ड में मिथलेश के स्थान पर मुकलेश दर्ज कर दिया जिसको प्रार्थीया के हित में शुद्ध किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया व पेरोकार सरकार की बहस व पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 88 व 89 में प्रार्थीया का नाम मुकलेश दर्ज रिकॉर्ड है जिसको प्रार्थीया शुद्ध करवाना चाहती है। इसके लिए प्रार्थीया ने अन्य सरकारी दस्तावेज जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका सन् 2006, आधार कार्ड ग्राम संग्रामपुरा बालून्दा व ग्राम पंचायत टोडा का गोठड़ा का प्रमाण पत्र पेश किये है जिनमें प्रार्थीया का नाम मिथलेश पुत्री पांचूलाल जाति मीणा व मिथलेश के पति का नाम नरेश कुमार मीणा दर्ज है साथ ही अप्रार्थीगण संख्या 2 ने भी अपने जवाब में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। उक्त दस्तावेज के अवलोकन से प्रतीत होता है कि राजस्व कार्मिको से प्रार्थीया का नाम मिथलेश के स्थान पर मुकलेश सहवन से दोनो नामो में ज्यादा भिन्नता नहीं होने के कारण हो गया है, जिसको शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देवली को जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के खाता संख्या 88 व 89 के ख. नं. 604 रकबा 0.32 है0, ख. नं. 632 रकबा 0.34 है0, ख. नं. 650 रकबा 0.04 है0, ख. नं. 651 रकबा 0.25 है0, ख. नं. 669 रकबा 0.55 है0 व ख. नं. 664 रकबा 0.06 है0 गै.मु. पाल, ख. नं. 670 रकबा 0.04 है0 गै.मु. चाह, वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का टोडा का गोठड़ा तहसील देवली में प्रार्थीया का नाम मुकलेश पुत्री पांचू के बजाय मिथलेश पुत्री पांचू दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली